



2026:AHC-LKO:40237

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 7721 वर्ष 2025

उमाशंकर तिवारी

.... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : शैलेन्द्र कुमार तिवारी, आनंद कुमार तिवारी, सुख
 देव सिंह

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सूर्य भान सिंह

न्यायालय संख्या-12

माननीय न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

2. इस न्यायालय ने 19.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

“आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं लेकिन अवसर दिए जाने के बावजूद, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अंतिम अवसर के तौर पर, मामला स्थगित किया जाता है।

इस मामले को 28.3.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

किसी भी आधार पर किसी भी पक्षकार को आगे कोई स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा, ऐसा न करने पर अगली तारीख को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनने के पश्चात मामले का उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा।”

3. परिवादी को अंतिम अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसका नाम सह-अभियुक्त के कथन के आधार पर सामने आया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं की गई है और आज तक मुख्य अभियुक्तों को पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त शिवांश मिश्रा को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 7656 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 24.04.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की गई है। अतः, वह समानता का दावा करते हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 26.6.2025 से जेल में है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात आवेदक के फरार होने या साक्षियों के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए , यह तथ्य कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, आवेदक से कोई बरामदगी नहीं की गई है, उसका नाम सह-अभियुक्त के कथन से सामने आया है, जिस अवधि से आवेदक जेल में है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ।

7. आवेदक **उमाशंकर तिवारी**, मुकदमा अपराध संख्या 0013 वर्ष 2024, धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 66घ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना साइबर क्राइम अमेठी, जनपद अमेठी में सम्मिलित है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ, जो न्यायहित में अधिरोपित की जा रही हैं, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का वचनबंध दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा और वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर उपस्थित रहेगा। इस शर्त के उल्लंघन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

की दशा में विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

कोई अन्य शर्त (शर्तें), जिन्हें विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त समझे, भी अधिरोपित की जा सकती हैं।

8. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ वर्तमान जमानत आवेदन तक सीमित हैं और विचारण के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद)

4 जून, 2026

रेनु /-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"